

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-30012021-224800
SG-DL-E-30012021-224800

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/ माघ 8, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 297
No. 36]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942	[N. C. T. D. No. 297

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 28 जनवरी, 2021

सं.फा. 6(32)/09-न्याय/अधी.विधि./89-102-निम्नलिखित को सामान्य जनसूचना के लिए, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है:-

“विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-8 ए की उपधारा 2 में अन्तर्विष्ट शक्तियों के प्रयोग में माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ मृदुल, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय को दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति के अध्यक्ष पद पर सहर्ष मनोनीत किया जाता है।”

माननीय मुख्य न्यायाधीश,
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से
हस्ताक्षरित
(सदस्य सचिव)
दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण”

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 28th January, 2021

No. F. 6(32)/09-Judl./ Suptlaw/89-102.— The following is hereby published for general information of the public: -

In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of Section 8A of Legal Services Authorities Act, 1987, Hon'ble Chief Justice, High Court of Delhi is pleased to nominate Hon'ble, Mr. Justice Siddharth Mridul, Judge, High Court of Delhi as Chairman of Delhi High Court Legal Services Committee.

By Orders of the
Hon'ble Chief Justice,
High Court of Delhi
-Sd-

(Member Secretary)
Delhi State Legal Services Authority

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.)